न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतनलाल योगी, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0– ..... 44/2011(122/2010)
प्रविष्टि दिनांक – ..... 01.04.2011(22.11.2010)
निर्णय दिनांक– 27.01.2020

उनवान

श्योजी पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक

–वादी

बनाम

1. हजारी पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक
2. जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक
3. रामरतन पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक
4. माधो पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक
5. छोटू पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक
6. तहसीलदार टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री कृष्ण गोपाल शर्मा–अभिभाषक वादी
श्री पवन कुमार जैन–अभिभाषक प्रतिवादीगण–1
श्री राजेन्द्र जाट–अभिभाषक प्रतिवादीगण– 2 ता 5

दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण द्वारा उक्त वाद पूर्व मे न्यायालय हाजा मे 122/2010 पर दर्ज किया गया था जिसमे दिनांक 01.4.2011 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय किया जाकर वाद अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया जिसके प्रार्थना पत्र पुनः सुनवायी स्वीकार किये जाने पर पुनः नम्बर पर लिया गया।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1063, 1068, 1082, 1083, कुल किता– 4, कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक मे स्थित है। जिसका अंकन जमाबन्दी खाता सख्या 119 में तथा भूमि खसरा नम्बर 1080, 1081, 1089, 1094, 1875, 1882, 1893, कुल किता–7 कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक स्थित है जिसका अंकन खाता संख्या–869 जमाबन्दी संवत 2063–66 में हो रखा है। उक्त आराजीयात वादी एंव प्रतिवादी संख्या–1 के पिता रूघनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी जिसका अंकन खतोनी संवत 2028 से 2047में हो रखा है तथा खसरा बन्दोबस्त संवत 2021, 2024 वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता रूघनाथ के नाम हो रखी हैं उपरोक्त वर्णित आराजीयात का तन्हा खातेदारी, मालिक स्वामी वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता रूघनाथ थे ओर उनके जीवनकाल तक उक्त आराजीयात को वे ही खातेदार काश्तकार की हैसियत से काश्त करते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु पश्चात इन आराजीयात को वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

रहे है। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 रूघनाथ के जायन्दा पुत्र है ओर वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 का उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति में बराबर है। स्व. रूघनाथ की मृत्यु पश्चात वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजीयात को मौके पर 1/2 1/2 हिस्सा पर काबिज है ओर वादी अपने पिता के जीवनकाल से ही उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण वादी को उक्त आराजीयात के 1/2 हिससे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार वादी के नाम अमल दरामद कराया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से आपस में साज कर उक्त आराजीयात को तन्हा अपने नाम अंकित करवा लिया और अब राजस्व रिकार्ड के अंकन का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द व हस्तांतरित करने पर आमादा है।.इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरारहक उद्घोषणा पारित फरमायी जाकर वादी को उपरोक्त वर्णित आरजीयात का प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अमल दरामद कराया जावे तथा प्रतिवीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाये की वे उक्त आराजीयात के किसी भी भाग को खुर्द बुर्द व हस्तांतरित नहीं करें न करावें, वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1063, 1068, 1082, 1083, कुल किता– 4, कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक मे प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 तथा शेष 1/2 हिस्से में प्रतिवादी 2 ता 5 की खातेदारी एंव कब्जे काश्त है इसमें वादी का कोई लेना देना नहीं है तथा भूमि खसरा नम्बर 1080, 1081, 1089, 1094, 1875, 1882, 1893, कुल किता–7 कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक का प्रतिवादी संख्या–1 तन्हा खातेदार एंव काबिज काश्तकार है इसमें वादी का लेना–देना नहीं है। इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है। स्व0 रूघनाथ के जीवनकाल में शामलाती परिवार के समय स्वंय स्व0 रूघनाथ की आय से अन्य भूमियां खसरा नम्बर 1079, 3247, 1098 खरीद कर दे दी थी जो उसके नाम है। इस कारण खाता संख्या–119 व 689 में अंकित भूमि तन्हा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से व कब्जे काश्त में आ चुकी थी। जब से प्रतिवादी संख–1 बतोर खातेदार के काबिज है एंव काश्त करता चला आ रहा है। वादी का कभी भी इनमें कब्जा नहीं है। वादी को 45–46 साल तक कोई एतराज नहीं था परन्तु अब भूमियों की कीमतें बढ जाने से वादी ने यह झुठा दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। उक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 1095 में प्रतिवादी नं. 1 के अलावा अन्य हिस्सेदार रामप्रसाद, रामावतार को जो सह कृषक है को पक्षकार नहीं बनाने से दावा चलने योग्य नहीं है। वादी को खसरा नम्बर 2073, 1085, 1086, 1079, 3247, 1098 में हिस्सा मिला हुआ है इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है। रिकार्डेड खातेदार को किसी प्रकार से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। दावा मियाद बाहर होने तथा 12 वर्ष से अधिक से वादी का कब्जा काश्त न होने से एंव गत 45 वर्षो से प्रतिवादी नं. 1 का भौतिक कब्जा होने से वादी के हक तहत कानून समाप्त हो चुके है। अतः दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने जवाब दावा पेश कर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपने हक व हिस्से तक दावा खारिज करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

वादी ने साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल ट्रेस, जमाबंदी संवत 2063–66 खाता संख्या–119 व 689, 121 वाके ग्राम डारडाहिन्द, नकल गश्त गिरदावरी संवत–2066, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल खतोनी जमाबन्दी संवत 2028–48, नकल पर्चा भू–सेटलमेन्ट संवत 2020–21 आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

वादी के वादपत्र एंव प्रतिवादीगण के जवाब के अनुसार प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

तनकी सं0 1

आया भूमि खसरा नम्बर 1063, 1068, 1082, 1083, कुल किता– 4, कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक मे स्थित हैं। जिसका अंकन जमाबन्दी खाता सख्या 119 में तथा भूमि खसरा नम्बर 1080, 1081, 1089, 1094, 1875, 1882, 1893, कुल किता–7 कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक स्थित है जो वादी व प्रतिवादी नं. 1 के पिता रूघनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी को वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी सं. 1 ने चालाकी से राजस्व कर्मचारियों से साज कर, उक्त आराजी को तन्हा अपने नाम अंकित करवा लिया। अतः वादी अपने पिता की उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

तनकी सं. 2–

आया कि उक्त आराजी का, प्रतिवादी सं. 1 राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर, खुर्द बुर्द व हस्तांतरित करने पर आमादा है इस कारण वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

तनकी सं. 3–

आया कि उक्त वादग्रस्त आराजी से वादी का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ही उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। वादी को रूघनाथ के जीवनकाल में ही शामलाती आय से खसरा नम्बर 1079, 3247, 1098 खरीद कर दे दी थी जो उसके नाम है। भूमि की कीमतें बढ जाने से वादी ने झूठा दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है। –जिम्मे प्रतिवादी सं.1

तनकी सं.4–

आया कि उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड के संबंध में वादी ने 45–46 साल से कोई एतराज नहीं किया। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिसे पाबन्द नहीं कराया जा सकता। वादी को खसरा नम्बर 2073, 1085, 1086, 1079, 3247, 1098 में हिस्सा मिल चुका है। दावा चलने योग्य नहीं है– जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

वादी ने साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ–पत्र पी. डब्ल्यू.–1 एंव अनोख पी. डब्ल्यू.–2 का शपथ पत्र पेश किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की जिसका पृथक से विवेचन नही किया जा रहा हैं।

हमने पत्रावली, बयान एवं साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तत्पश्चात तनकीयात निम्न प्रकार निर्णित की जाती है :–

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

तनकी सं0 1

आया भूमि खसरा नम्बर 1063, 1068, 1082, 1083, कुल किता– 4, कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक मे स्थित है। जिसका अंकन जमाबन्दी खाता सख्या 119 में तथा भूमि खसरा नम्बर 1080, 1081, 1089, 1094, 1875, 1882, 1893, कुल किता–7 कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक स्थित है जो वादी व प्रतिवादी नं. 1 के पिता रूघनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी को वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी सं. 1 ने चालाकी से राजस्व कर्मचारियों से साज कर, उक्त आराजी को तन्हा अपने नाम अंकित करवा लिया। अतः वादी अपने पिता की उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

उक्त तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। पुरानी मिसल बन्दोबन्त, खसरा गिरदावरी तथा नवीन जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बरों में भिन्नता है। वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि में से कौन सी भूमि पूर्वजों से आयी है ओर कौन सी भूमि शामलाती आय से क्रय की गयी है। बाद में क्रय की गयी भूमि की रजिस्ट्री के दस्तावेजात पेश करने चाहिए थे जो नहीं किये गये है। गवाह में रूघनाथ के के तीन वारिस बताऐ गये है जबकि वादी ने अपने वाद में केवल प्रतिवादी नं. 1 के साथ स्वंय को ही वारिस बताया है। इस प्रकार वादी ने सभी वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार वादी यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि वादग्रस्त समस्त भूमि उसके पिता रूघनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जहां तक उक्त आराजी को वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर काश्त करने का प्रश्न है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी ने स्वतन्त्र गवाह अनोख के शपथ–पत्र पेश किये किन्तु उसने भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान सिद्ध नहीं किया है। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिवादी सं. 1 ने चालाकी से राजस्व कर्मचारियों से साज कर, उक्त आराजी को तन्हा अपने नाम अंकित करवा लिया। वादी ने अपने दावे में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिवादी ने किस राजस्व कर्मचारी से किस सम्वंत में किस दस्तावेज से अपने नाम लगवा ली है। वादी ऐसा कोई दस्तावेज नामांतकरण, आदेश या अन्य कोई पत्रादि पेश नहीं किये है।

इस प्रकार वादी उक्त तनकी अपने पक्ष में सावित कराने में विफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2–

आया कि उक्त आराजी का, प्रतिवादी सं. 1 राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर, खुर्द बुर्द व हस्तांतरित करने पर आमादा है इस कारण वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

उक्त तनकी को भी सावित करने का भार वादी पर है। चूँकि वादी अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर पाया है इसलिए उसे प्रतिवादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी को पावन्द कराने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार वादी उक्त तनकी अपने पक्ष में सावित कराने में विफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3–

आया कि उक्त वादग्रस्त आराजी से वादी का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ही उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। वादी को रूघनाथ के जीवनकाल में ही शामलाती आय से खसरा नम्बर 1079, 3247, 1098 खरीद कर दे दी थी जो उसके नाम है। भूमि की कीमतें बढ जाने से वादी ने झूठा दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है। –जिम्मे प्रतिवादीसं. 1

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर है। प्रतिवादी सं. 1 यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी से वादी का कोई लेना देना नहीं है। मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

स्व रिकार्ड वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वादी को रूघनाथ के जीवनकाल में ही शामलाती आय से खसरा नम्बर 1079, 3247, 1098 खरीद कर दे दी थी। वादी द्वारा 45–46 साल के बाद यह दावा पेश किया है। इतनी लम्बी अवधि के बाद दावा पेश करने का वादी कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं कर पाया है इस प्रकार यह प्रकट होता है कि संभवतः भूमि की कीमतें बढ जाने से वादी ने यह दावा पेश किया है। नियमानुसार वादी को बालिग होने के सात वर्ष की अवधि में दावा पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 उक्त तनकी अपने पक्ष में पूर्ण रूप से साबित कराने में विफल रहा है। अतः यह तनकी प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

तनकी सं.4–

आया कि उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड के संबंध में वादी ने 45–46 साल से कोई एतराज नहीं किया। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिसे पाबन्द नहीं कराया जा सकता। वादी को खसरा नम्बर 2073, 1085, 1086, 1079, 3247, 1098 में हिस्सा मिल चुका है। दावा चलने योग्य नहीं है– जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

उक्त तनकी को साबित करने का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 पर है। दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार यह सही है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड के संबंध में वादी ने 45–46 साल से कोई एतराज नहीं किया। चूँकि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे को कोई दस्तावेज पेश नहीं किया इसलिए यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है। मुताबिक रिकार्ड प्रतिवादी सं0 1 वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। इसलिए बिना कोई उचित कारण खातेदार को पाबन्द नहीं कराया जा सकता। मुताबिक राजस्व रिकार्ड भूमि आराजी खसरा नम्बर 2073, 1085, 1086, 1079, 3247, 1098 वादी की खातेदारी भूमि है किन्तु प्रतिवादी सं. 1 यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि वह भूमि उसके द्वारा दी गयी है।

इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 उक्त तनकी अपने पक्ष में पूर्ण रूप से साबित कराने में विफल रहा है। अतः यह तनकी प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तनकी संख्या–1 व 2 जो वादी को सिद्ध करनी थी उसमें वादी असफल रहा है तथा प्रतिवादी संख्या–1 जिसको तनकी संख्या–3 व 4 सिद्ध करने का दायित्व दिया गया है वह अपने हिस्से की तनकी को सिद्ध करने में आंशिक सफल रहा है। क्योंकि वादपत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसलिए वादी को अपना दावा सिद्ध करना सर्वोपरि है। इस प्रकार वादी अपने वाद में अंकित तथ्यों को साबित नहीं कर पाया है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नज़ीर आरआरडी–14.7.2018 पृष्ट–425 इस प्रकरण में प्रतिपादित होती है जिसके अनुसार बालिग होने के सात वर्ष पश्चात दावा पेश किया जाना चाहिए था जबकि यह दावा 46 वर्ष के बाद किया गया है जो मियाद बाहर हो गया है। इस प्रकार वादी का वाद भारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

फलतः वाद वादी बाबत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी,
टोंक

Scanned by CamScanner